न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–139/18

1. मूल्या पुत्र सरूपा,
   1/1. रामजीलाल पुत्र मूल्या, जाति जाट, निवासी ग्राम रामनगरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. रामकरण पुत्र सरूपा, जाति जाट, निवासी ग्राम रामनगरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

——प्रार्थी

बनाम

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. शिवशंकर गृह निमार्ण सहकारी समिति लि. जरिये अध्यक्ष, सेडूराम मीना पुत्र श्री रामूलाल मीना, पता प्लॉट संख्या 91, अशोकपुरा, न्यू सांगानेर, रोड़, सोडाला, जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर।
4. सनिका जोरवाल पुत्री श्री हजारीलाल जोनवाल, निवासी प्लॉट संख्या 72, स्वरूप विहार विस्तार, रामनगरिया, सांगानेर जयपुर हाल निवासी सी–2/88 सैक्टर 36 नोयड़ा।

——अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः 12.11.2018

प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा यह पुर्नवलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, सपठित धारा 47 जाप्ता दीवानी विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.03.2018 उनवानी अपील मूल्या बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण प्रस्तुत किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थीगण/अपीलान्ट का मुख्य रूप से उज्र रहा था कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा आज दिनांक तक कभी कोई इकरारनामा खसरा नम्बर 45/1 बाबत नही किया गया तथा सोसायटी द्वारा जो इकरारनामा दिनांक 11.04.1993 खसरा सख्या 45 बाबत प्रस्तुत किया है, वह लादू द्वारा पूर्व में ही खसरा संख्या 45 रकबा 0.68 हैक्टयर में से अपने 1/3 हिस्से 0.23 हैक्टयर का किया है तथा वर्तमान में खसरा नम्बर 45 मे रकबा 0.68 हैक्टयर मे लादू के 1/3 हिस्से का तकासमा होकर लादू के खसरा नम्बर 45 रकबा 0.24 हैक्टयर (1/3 हिस्सा) रिकार्ड में दर्ज है तथा मूल्या व रामकरण के खसरा नम्बर 45 में तकासमा होकर खसरा नम्बर 45/1 रकबा 0.44 हैक्टयर (2/3 हिस्सा) दर्ज है जबकि न्यायालय द्वारा लादू से सोसायटी द्वारा किय गये इकरारनामें दिनांक 11.04.1993 के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 45/1 रकबा 0.44 में से 0.23 हैक्टयर बाबत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.04.2013 की अपील खारिज करने में तथ्यातत्मक भूल की है, जो एरर अपरेट ऑन दी फेस ऑफ रिकार्ड होने से पुर्नविलोकन योग्य हैं।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 04.04.2013 का स्वयं की खातेदारी के उपरोक्त खसरा नम्बर 45/1 का कृषि से अकृषि रूपान्तरण किये जाने बाबत आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो कि न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद अपील खारिज करने का निर्णय दिनांक 28.03.2018 रिकार्ड के आमुख पर प्रत्यक्ष त्रुटि होने से पुर्नवलोकन योग्य है। उन्होने कथन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि उनके द्वारा कभी भी खसरा नम्बर 45/1 रकबा 0.44 के किसी हिस्से का विक्रय सोसायटी या अन्य को नही किया गया था जबकि सोसायटी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 11.04.1993 भी लादू द्वारा खसरा नम्बर 45 रकबा 0.66 हैक्टयर में अपने हिस्से का 1/3 रकबा 0.23 हैक्टयर का किया गया था तथा सोसायटी द्वारा ऐसा कोई इकरारनामा प्रस्तुत करने मे असफल रही कि प्रार्थीगण द्वारा अपने 45/1 रकबा 0.44 हिस्से में से कभी कोई विक्रय सोसायटी को किया हो जिससे निर्णय दिनांक 28.03.2018 पुर्नवलोकन योग्य है, स्वयं सोसायटी द्वारा उपस्थित न होकर एक प्लॉट होल्डर रेस्पाडेन्ट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की है जिसमे में प्रमुख रूप से खसरा नम्बर 46 व 47 का हुऐ कन्वर्जन आदेश दिनांक 04.02.2002 बाबत उज्र लिये है कि प्रार्थीगण ने इस खसरा नम्बर 45 बाबत कोई आपत्ति नही कि जबकि खसरा नम्बर 46 व 47 सोसायटी को विक्रया किया जाना स्वीकार है तथा खसरा नम्बर 46 व 47 बाबत ही कनवर्जन आदेश दिनांक 04.02.2002 है जिस दिनांक 04.02.2002 के कन्वर्जन में खसरा नम्बर 45 या 45/1 बाबत आपत्ति उठाने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता जिस कारण रेस्पोडेन्ट के कथन औचित्यहीन है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पुर्नवलोकन के बिन्दुओं को गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

अप्रार्थी संख्या 4 ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र दुर्भावना से ग्रसित होकर व पीठासील अधिकार के बदल जाने के पश्चात् गलत व मनगढंत तथ्यों पर व न्यायालय का बहुमूल्य समय बर्बाद करने के लिये प्रस्तुत किया गया है, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 अथवा 86 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 मे दिये गये पुर्नविलोकन के प्रावधानों की परिधि में किभी भी रूप में पोषणीय नही है। उन्हाने आगे कथन किया है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा अपील में पारित आदेश दिनांकित 28.03.2018 को जिन आधारों पर पुर्नविलोकन करने हेतु प्रस्तुत किया है व सरासर बेबूनियाद है एवं विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने कथन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई नवीन तथ्य प्रस्तुत नही किये गया है जिससे न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2018 में किसी प्रकार के बदलाव/संशोधन किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती हो। उन्होने आगे कथन किया है कि वास्तविकता यह है कि मूल्या व रामकरण पुत्रान स्वरूपा के अन्य सगे भाई लादू द्वारा अपने अधिकार जरिये इकरारनामा दिनांक 11.04.93 जो खसरा नम्बर 45 स्थित रामनगरिया का मूल रकबा 0.68 हैक्टयर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सांगानेर जिला जयपुर में अवस्थित है, का बैचान प्रार्थीगण द्वारा शंकर हाउसिंग कॉ–ऑपरेटिव सोसायटी लि0 के हक में कर दिया था जिसके पश्चात् उक्त सोसायटी द्वारा अपने सदस्यों के नाम से विभिन्न पट्टे/आवंटन पत्र देकर उक्त भूमि पर सदस्यगणों का कब्जा व अधिकार निहित करवाया तथा इकरारनामें के द्वारा बेचान किये गये एवं इसी क्रम में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त स्वरूप विहार योजना में स्थित भूमि का कन्वर्जन किया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने कथन किया है कि प्रस्तुत अपील में आलौचित किये गये प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के गुणावगुण व न्यायिक अवलोकन पर आपत्ति उठायी गयी है, उपरोक्त समस्त आधार का सार यही है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान् के आदेश दिनांक 28.03.2018 की मैरिट आब्जरवेशन और फाईण्डिंग को चैलेन्ज करने की चेष्ठा की गई है, जो केवल अपील या रिवीजन में ही उठाये जा सकते है। उन्होने यह भी कथन किया है कि आदेश दिनांक 28.03.2018 में न्यायालय श्रीमान् द्वारा दी गई आब्जरवेशन, फाईण्डिंग और आदेश की मैरिट को चुनौती करने का प्रयास किया जा रहा है, जो विधि विरूद्ध होने के खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मूल अपील में अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात् प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय दिनांक 28.03.2018 पारित किया गया है जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि यदि कोई भी पक्षकार न्यायालय के किसी भी निर्णय या आदेश से असंतुष्ट हो तो इसके लिये असंतुष्ट पक्षकार को अपर न्यायालय में अपील/रिविजन दायर करने के अधिकार कानून में दिये गये है ऐसी स्थिति में यदि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 28.03.2018 से असंतुष्ट है तो इसके लिये उन्हे सक्षम न्यायालय में अपील/रिविजन कर चाराजोही करनी चाहिये। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पुर्नविलोकन खारिज योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पुर्नविलोकन खारिज किया जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।